राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2075/2024

करण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.06.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा वर्ष 2015–16 की एएसआई की पदोन्नति रिक्तियों के लिए 44 पदो हेतु पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से व्यथित है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16083/2015 आदेश दिनांक 02.02.2016 में निर्धारित कानून का उल्लंघन है और साथ ही आदेश संख्या 4914 दिनांक 14.05.2024 से भी व्यथित है, जिसमें जयपुर पुलिस आयुक्तालय में वर्ष 2015–16 के लिए एएसआई की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में अधिसूचित 44 पदों के स्थान पर 90 हेड कानि. का चयन पदोन्नति हेतु किया गया था। (अनुलग्नक–1 व 2) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2018 के तहत वर्ष 2015–16 के लिए ASI के 44 रिक्त पदों को भरने हेतु पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की गई थी। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने पात्र होने के कारण समय पर अपना आवेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने आदेश दिनांक 06.03.2018 के तहत पात्र स्वास्थ्य अधिकारियों की एक अनंतिम सूची जारी की और अपीलार्थी का नाम पात्र स्वास्थ्य अधिकारियों की अनंतिम सूची में क्रम संख्या 196 पर अंकित है। (अनुलग्नक–4) इसके बाद पात्र हेड कांस्टेबल की अंतिम सूची दिनांक 14.03.2018 के तहत जारी की गई, साथ ही 4 हेड कांस्टेबल की सूची दिनांक 14.03.2018 के तहत अपात्र घोषित किए गए, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर इस कारण से प्रदर्शित किया गया कि अपीलार्थी ने 01.04.2015 के बाद बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसके पास निर्धारित वर्षों का

अनुभव नहीं था। (अनुलग्नक–1) इसके बाद परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की गई और अंततः 43 हेड कांस्टेबल की एक चयन सूची दिनांक 20.06.2018 जारी की गई, जिसमें चयनित सभी हेड कांस्टेबल अपीलार्थी से वरिष्ठ थे और इसलिए अपीलार्थी ने उसे अयोग्य घोषित करने को चुनौती देना उचित नहीं समझा। (अनुलग्नक–5) उपरोक्त चयन सूची के लगभग 6 वर्ष पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए आदेश क्रमांक 4914 दिनांक 14.05.2024 को 90 हेड कांस्टेबल की संशोधित चयन सूची जारी की गई है, जबकि पूर्व में 20.06.2018 को 43 हेड कांस्टेबल का चयन किया गया था, नई चयन सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ कई हेड कांस्टेबल को नए सिरे से चयनित किया गया है। (अनुलग्नक–2) इसके बाद अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 14.03.2018 के आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें उसे 2018 में अयोग्य घोषित किया गया था और अब 2015–16 के 90 पदों को भरा गया अपीलार्थी से कनिष्ठों को 2018 की पदोन्नति परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–6) इस अभ्यावेदन के साथ अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2016 को पारित निर्णय की प्रति भी संलग्न की थी, जिसमें आरपीएसएस नियम 1989 के नियम 26 (4) की व्याख्या की गई है कि अनुभव की गणना पदोन्नति परीक्षा आयोजित होने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को की जायेगी। महानिदेशक पुलिस ने इस निर्णय के आधार पर आदेश क्रमांक 1360 दिनांक 05.04.2017 जारी किया। अपीलार्थी को कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नरेट के पदोन्नति और भर्ती प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा बुलाया गया था और उस पर दबाव डाला गया था कि वह अपने अभ्यावेदन पर जोर न दे एवं उसे आश्वासन दिया गया था कि निर्णय के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी, 44 हेड कांस्टेबल की पूर्व चयनित सूची के अतिरिक्त चयनित हेड कानि. को पी.सी.सी. के लिए भेजने से पहले उसके मामले पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी को इसके तुरंत बाद पता चला कि वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरुद्ध एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु अतिरिक्त रूप से चयनित हेड कानि. को आदेश दिनांक 14.05.2024 द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन की अनदेखी करते हुए, एएसआई की पीसीसी के लिए भेज दिया गया है और अपीलार्थी ने इसके तुरंत बाद दिनांक 12.06.2024 के अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं। (अनुलग्नक–7) माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अनुलग्नक–8 पर है। अपीलार्थी को नियम एवं उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत अपात्र घोषित किया गया है। 1989 के नियमों में रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात उन्हें घटाने या बढाने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार किए बिना वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त व्यक्तियों का चयन किया, जिसमें कई अपीलार्थी से कनिष्ठ है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 14.03.2018 को अवैध घोषित किया जावे एवं दिनांक 14.05.2024 को जारी संशोधित चयन सूची वर्ष 1989 के सेवा नियमों तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2022 के निर्णय के पैरा 43 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होने से सूची को निरस्त किया जावे और अपीलार्थी को एएसआई पद के लिए वर्ष 2015–16 की पदोन्नति परीक्षा के लिए पात्र माना जावे। साथ ही अपीलार्थी के नाम पर रिक्ती वर्ष 2015–16 के विरुद्ध एएसआई के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जावे तथा उसे उसकी वरिष्ठता के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरुद्ध हेड कांस्टेबल से एएसआई में पदोन्नति के संबंध में रिक्तियों की रिव्यू के लिए कई रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी विभाग ने हेड कांस्टेबल से एएसआई में पदोन्नति के लिए रिव्यू परीक्षा आयोजित की थी। प्रतिवादी विभाग ने आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 के लिए एएसआई की 44 रिक्तियों के लिए पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए सही रूप से अयोग्य घोषित किया है, क्योंकि अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरुद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी ने 11.04.2016 को बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। आदेश दिनांक 14.03.2018 के अनुसार, अपीलार्थी को परिपत्र दिनांक 15.04.2017 में निर्धारित अनुसार 01.04.2015 तक बीए डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करना था। अपेक्षित योग्यता पूरी न करने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति परीक्षा हेतु पात्र नहीं माना गया। (अनुलग्नक आर–1) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए सहायक उप–निरीक्षकों के 44 रिक्त पदों को भरने हेतु पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने हेतु दिनांक 21.02.2018 को अधिसूचना संख्या 1920 जारी की गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने 06.03.2018 को पात्र हेड कांस्टेबल की एक अनंतिम सूची जारी की और अपीलार्थी का नाम सूची में क्रम संख्या 196 पर था। पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 14.03.2018 को जारी की गई थी, साथ ही 4 अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर था, क्योंकि अपीलार्थी के पास दिनांक 01.04.2015 को हेड कानि. का निर्धारित वर्षों का अनुभव नहीं था। दिनांक 20.06.2018 को 43 हेड कानि. की चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें सभी हेड कानि. अपीलार्थी से वरिष्ठ थे, इसलिए अपीलार्थी ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के आदेश को चुनौती देना उचित नहीं समझा। अपीलार्थी ने बी.ए. तृतीय वर्ष परीक्षा 11.04.2016 को उत्तीर्ण किया

है। आदेश दिनांक 14.03.2018 के अनुसार, अपीलार्थी को परिपत्र दिनांक 15.04.2017 में निर्धारित अनुसार 01.04.2015 तक बीए डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करना था। अपेक्षित योग्यता पूरी न होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना गया। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2024 पर स्वयं 30.05.2024 को नोट डाला है कि आज दिनांक 30.05.2024 को कार्यालय स्वयं उपस्थित हुआ, आपके कार्यालय द्वारा अवगत कराने पर मैं संतुष्ट हुआ, मैं उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्पष्टीकरण से संतुष्ट है और अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। (अनुलग्नक आर–2) महाानिदेशक पुलिस ने भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर दिनांक 05.04.2017 को एक आदेश जारी किया था, और पात्रता निर्धारण का आधार अपीलार्थी को अयोग्य घोषित किए जाने से पहले ही इसे अंतिम रूप दे दिया गया। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2024 पर स्वयं बिना किसी दबाव के दिनांक 30.05.2024 को नोट डाला है कि आज दिनांक 30.05.2024 को कार्यालय में स्वयं उपस्थित हुआ और मैं प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी विभाग ने रिक्तियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए हेड कानि. से एएसआई में पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित करने का कथन मिस लिडिंग (Miss Leading) है। अपील में अपीलार्थी को अपात्र घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित निर्णय दिनांक 16.02.2016 के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे अपील के अनुलग्नक–6 के साथ दायर किया गया है। प्रतिवादियों ने अपना उत्तर केवल इस आधार पर दिया है कि अपीलार्थी के पास पदोन्नति के लिए 3 वर्षों का HC अनुभव नहीं था क्योंकि उसने 01.04.2015 के बाद अपनी BA परीक्षा उत्तीर्ण की थी, नियमों के तहत निर्धारित HC के पांच साल के अनुभव को नजरअंदाज किया गया (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय के आधार पर 01.04.2017 को पांच वर्ष का अनुभव रखता था, क्योंकि अधिसूचना 06.03.2018 को वर्ष 2015–16 के लिए ASI की 44 रिक्तियों को भरने के लिए जारी की गई थी। चूंकि अपीलार्थी को हेड कानि. के विरुद्ध वर्ष 2012–13 में पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादी द्वारा जारी अनंतिम पात्रता सूची (अनुलग्नक–4) में दर्शाई गई वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के आधार पर आगे की

पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता एएसआई के पद पर अनुभव की गणना 01.04.2012 से एवं दिनांक 01.04.2017 की तिथी को होनी चाहिए, दिनांक 01.04.2015 की तिथी को गणना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वर्ष 2015–16 के लिए एएसआईएस की 44 रिक्तियों के लिए योग्यता परीक्षाएं 06.03.2018 के आदेश के तहत आयोजित की गई थीं, अतः पात्रता 01.04.2017 से ली जानी चाहिए न कि 01.04.2015 से, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2016 में कहा है। इसलिए, भले ही अपीलार्थी ने 01.04.2015 से पहले बी.ए. उत्तीर्ण किया हो, फिर भी वह उपरोक्त निर्णय के अनुसार 01.04.2012 से 01.04.2017 तक गिने गए 5 वर्षों के गैर–स्नातक अनुभव के आधार पर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र था। दिनांक 02.02.2016 का निर्णय दिनांक 06.03.2018 की अधिसूचना (अनुलग्नक–4) से पहले आया था और इस आदेश दिनांक 15.04.2017 (अनुलग्नक–10) के तहत प्रतिवादियों द्वारा पक्ष बनाया गया था। अपीलार्थी दिनांक 20.06.2018 के अनुलग्नक 5 के तहत सहायक उप–निरीक्षकों की 44 रिक्तियों के लिए तैयार की गई चयन सूची के 6 वर्ष बाद वर्ष 2015–16 के लिए सहायक उप–निरीक्षकों की समीक्षा और पुनरीक्षण की रिक्तियों से अभी भी व्यथित है, जिसमें उच्च न्यायालय के दिनांक 27.09.2022 के निर्णय (अनुलग्नक–8) की गलत व्याख्या की गई है। प्रतिवादियों ने दिनांक 06.03.2018 के आदेश के तहत अनंतिम पात्रता सूची जारी की थी, जिसमें अपीलार्थी को क्रमांक 196 पर दिखाया गया एवं पात्र घोषित किया गया था, लेकिन बाद में दिनांक 14.03.2018 के आदेश के तहत अपीलार्थी को पूर्व सूचना दिए बिना और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी करते हुए अपात्र घोषित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और वर्तमान में हेड कॉस्टेबल के पद पर पुलिस आयुक्तालय जयपुर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2018 के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए ASI के 44 रिक्त पदों को भरने हेतु हेड कानि. की पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस हेतु प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 06.03.2018 के तहत एक अनंतिम पात्रता सूची जारी की और उसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 196 पर अंकित है। उसके पश्चात पात्र एवं अपात्र कार्मिकों की अंतिम सूची जारी की गई। 4 अपात्र हेड कानि. की सूची दिनांक 14.03.2018 को घोषित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित था। अपीलार्थी ने 01.04.2015 के बाद

बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उसके पास हेड कानि. का निर्धारित वर्षों का अनुभव नहीं होने से अपात्र माना गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2015–16 के एएसआई के 44 रिक्त पदों (एस–4, एसटी–30 एवं जनरल–37) पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा आयोजित किए जाने की विज्ञप्ति जारी की जाकर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अस्थाई पात्रता और वरिष्ठता सूची एवं अपात्रता सूची दिनांक 06.03.2018 को जारी की गई (अनुलग्नक–4), जिसमें अपीलार्थी का नाम पात्र हेड कानि. की सूची में क्रम संख्या 196 पर अंकित है। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा 4 हेड कानि. के अपात्रता सूची जारी जारी की गई, जिसमें क्रम संख्या 1 पर अपीलार्थी को अपात्र घोषित करते हुए स्थाई पात्रता सूची से उसका नाम हटाया गया। (अनुलग्नक–1) इसके पश्चात पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाकर 43 हेड कानि. को एएसआई के पर पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति संवर्ग का पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुशंषा की गई। (अनुलग्नक–5) इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 14 मई 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न दायर प्रकरणों में पारित आदेशों की अनुपालना में रिव्यू बोर्ड का गठन कर वर्ष 2015–16 हेतु संशोधित चयन सूची हेड कानि. से एएसआई के पद के लिए जारी की गई, जिसमें 90 हेड कानि. का एएसआई के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.04.2018 एवं दिनांक 14.05.2024 को इस अपील में चुनौती दी गई। अपीलार्थी का कथन है कि उसके रिक्ति वर्ष 2015–16 हेतु वर्ष 2017–18 में आयोजित पदोन्नति परीक्षा में अयोग्य इस आधार पर घोषित किया है कि उसकी बीए की डिग्री 1 अप्रैल 2015 के बाद होने कारण निर्धारित अनुभव धारित नहीं करता है। अपीलार्थी का यह कथन है कि पदोन्नति हेतु डिग्रीधारी को हेड कानि. के पद पर 3 वर्ष और गैर स्नातक 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्रत्यर्थी विभाग के मात्र उसकी बीए की डिग्री की दिनांक 01.04.2015 के बाद होने के आधार पर अपात्र घोषित किया है, जबकि अपीलाथी की पदोन्नति हेड कानि. के पद पर वर्ष 2012–13 में हुई है और पदोन्नति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की गणना राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 26 के अनुसार पदोन्नति परीक्षा आयोजित किए जाने के वर्ष के प्रथम अप्रैल को की जायेगी, चूंकि वर्ष 2015–16 की पदोन्नति वर्ष 2017–18 में आयोजित की गई है। अतः अनुभव की गणना 1 अप्रैल 2017 के संदर्भ में की जायेगी और इस तिथी को अपीलार्थी द्वारा 5 वर्ष का अनुभव पूरा करने के कारण पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव रखता है। अतः आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा उसे नियम विरूद्ध अपात्र घोषित किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी की तरफ से राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 26 और इस संबंध में राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा सरदार सिंह एवं अन्य बनाम महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं अन्य (एसबीसीसिविल रिट पिटीशन संख्या 18816/2015) एवं अन्य संलग्न प्रकरणों में पारित निर्णय आदेश दिनांक 02.02.2016 की तरफ अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है और यह भी निवेदन किया अनुभव की गणना जिस वर्ष पदोन्नति परीक्षा आयोजित की जातीी है उस वर्ष की 1 अप्रैल के संदर्भ में की जायेगी। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को पहले आदेश दिनांक 06.03.2018 द्वारा पात्रता सूची में रखा और बाद में बिना किसी कारण दिनांक 14.03.2018 द्वारा उसको अपात्र घोषित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.05.2024 जिसके द्वारा वर्ष 2015–16 की एएसआई पद की रिव्यू डीपीसी की जाकर 90 हेड कानि. को एसएसआई के पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित किया गया है, के संबंध में निवेदन किया गया है कि इसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई और यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीसिविल रिट पिटिशन संख्या 5926/2022 में पारित आदेश की बिंदू संख्या 43 के प्रतिकूल होने से अवैध है।

प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अनुभव धारित नहीं करने के कारण अपीलार्थी को हेड कानि. के पद पर एएसआई की पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में अपात्र घोषित किया गया है। अपीलार्थी का बीए की डिग्री 01.04.2015 के बाद होने के कारण रिक्ति वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित अनुभव धारित नहीं करता है। अतः आदेश विधि सम्मत है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्वयं कोई कार्यवाही नहीं चाहने का नोट अंकित किया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग–5 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। नियम 26 के उप नियम (iv) निम्नानुसार हैः–

"26-.Eligibility for promotion:-

(iv). The persons eligible for promotion should have completed the requisite number of years of service as laid down in Column-6 of Schedule-1 on first of April of the year in which the qualifying examination is held.''

पदोन्नति हेतु अनुभव के संबंध में अनुसूची I में हेड कानि. से एएसआई के पद पर पदोन्नति संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है। जिसके अनुसार हेड कानि. से एएसआई के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है और पदोन्नति हेतु निम्नानुसर अनुभव निर्धारित हैः– '' 5 Years experience on the post mentioned in Col. No. 5 or 3 years experience, if Graduate."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसी सिविल रिट पिटिशन संख्या 18819/2015 सरदार एवं अन्य बनाम महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं अन्य तथा संलग्न प्रकरणों में यह निर्धारित किया गया है कि पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना किस तिथी के सन्दर्भ में मानी जायेगी। उसका सम्यक अंश नीचे उद्वत हैः–

" I have considered rival submiss ons made by learned counsel for the parties and scanned the matter carefully.

The short controversy involved in these writ petitions is about eligibility of the petitioners for their promotion to the post of AS and SI. It is in respect of their experience on the lower post. If the promotion is on the post of ASI, one needs to possess experience on the post of Head Constable and if promotion is on the post of Sub-inspector, then experience should be on the post of ASI The required experience has been given under the Schedule appended to the Rules of 1989.

To examine the issue, it would be gainful to quote Rule 26 of the Rules of 1989, which is quoted thus:

"26-.Eligibility for promotion:
(]')--------
(ii)---------
(iii)---------
(iv) The persons eligible for promotion should have completed the requisite number of years of service as laid down in Column 6 of Schedule -I on first of April of the year in which the qualifying examination is held."

The Rule, quoted above, provides for experience, as given in the schedule, as on 01" April of the year, in which, qualifying examination is held. In view of the aforesaid, the justification of the respondents to consider the required experience as on 01" April of the year of vacancies the higher post cannot be accepted, rather goes contrary to the Rules. They are under an obligation to give correct interpretation τo the Rules and accordingly, required experience should be determined as on 01" April of the year, in which, qualifying examination is held.

In the present case, the qualifying examinations were 1 held prior to 31" March, 2016, thus crucial date to determine the experience should be 01" April, 2015. In view of the above, argument of the learned counsel for the petitioners needs acceptance. The experience of the petitioners is to be counted as on 01" April, 2015, i.e., the year of qualifying examination."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित कर अपील को स्वीकार किया गया है।

"In view of the above, all the writ petitions are allowed with the following directions:

(i) the respondents are directed to count experience as on 01" April of the year of qualifying examination for promotion and if any of the petitioners have completed the required experience as on 01" April of the year of qualifying examination, then to be held eligible for promotion. It is by taking correct interpretation of Rule 26 (4) of the Rules of 1989.

(ii) If any of the petitioners are not falling in the category given above and is working in Jaipur city/Rural then taking into consideration the delay in holding promotion to the post of Head Constable or ASI, the respondents are directed to pass on the benefits to the petitioners because delay in holding DPC cannot be to the detriment of the rights of the petitioners. It is moreso when after constitution of Committee on 08th December, 2010, promotions were made throughout the State leaving Jaipur.

(iii) The delay in making promotion to the lower post should not be to the detriment of the rights of the petitioners, rather their experience would be counted without discrimination as per the decision dated 26th October, 2013.

(iv) The petitioners have already appeared in the qualifying examination held by the respondents and it has been conductes in this year, thus. their result would de declared after governing candidature by the directions given above and if anyone quasifies, then consideration of the candidature would be made for promotion to the higher post in accordance to the Rules and if they are found eligible, then would be given, promotion to the higher post of ASI or SI, as the case may be."

प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का हेड कानि. के पद पर पदोन्नति वर्ष 2012–13 में होना निर्विवाद है और यह भी स्पष्ट है कि एएसआई के पद पर रिक्तियां वर्ष 2015–16 के संबंध में पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2017–18 में आयोजित की गई है। अतः राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 26 (iv) और उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में रिट याचिका संख्या 18816/2015 में पारित आदेश के अनुसार अनुभव की गणना 01.04.2017 के सन्दर्भ में की जायेगी। इस तिथि को अपीलार्थी हेड कानि. के पद पर 5 वर्ष का निर्धारित अनुभव बतौर गैर स्नातक पूरा करता है और बतौर स्नातक भी निर्धारित अनुभव इस तिथी को धारित करता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 18816/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील या एसएलपी दायर हुई हो, जिससे इसे अपास्त किया गया हो। जिससे स्पष्ट है कि यह आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

अतः हमारे मत में अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की एएसआई के पद की रिक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिए दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में नियमों में निर्धारित अनुभव की पूर्ति करता है और आयोजित पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए नियुमानुसार पात्र है और उसे अयोग्य घोषित किए जाने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 14.03.2018 को हम नियम विरूद्ध पाते है। उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलौच्य

आदेश दिनांक 14.03.2018 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के संदर्भ में वर्ष 2015–16 की एएसआई की रिक्तियों के प्रति योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया जाए और उसमें उत्तीर्ण होने की दशा में उसे पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु नामांकित किया जावे एवं नियमानुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष